अपने अधिकारों को जानें: आप्रवासियों के अधिकार

New Jersey में रहने वाले या यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार हैं, चाहे उनकी नागरिकता या आव्रजन स्थिति कुछ भी हो। निम्नलिखित जानकारी आपको आव्रजन प्रवर्तन अधिकारियों, मुख्य रूप से आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (Immigration and Customs Enforcement, ICE) या अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (U.S. Customs and Border Protection, CBP) अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करने के लिए तैयार की गई है।

कृपया ध्यान दें कि ICE किसी भी प्रकार के वारंट की आवश्यकता के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: कार्यस्थल के विशिष्ट क्षेत्र, कार्यालय लॉबी, सुपरमार्केट, रिटेल स्टोर या रेस्तरां का भोजन क्षेत्र।

यदि आपकी किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी आव्रजन एजेंट या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी से मुलाकात होती है:

- आप उनसे उनका बैज/पहचान पत्र देखने की मांग कर सकते हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि अधिकारी आव्रजन एजेंट है या नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वे किस एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और विशेष रूप से पूछ सकते हैं कि क्या वे संघीय आव्रजन एजेंट हैं।
- आप पूछ सकते हैं कि क्या आप जा सकते हैं।
- आपको चुप रहने का अधिकार है और आपके लिए प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है। आप आव्रजन एजेंट को बता सकते हैं कि आप चुप रहना चाहते हैं।
- यदि आप अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और कोई आव्रजन एजेंट आपसे आव्रजन संबंधी कागजात मांगता है, तो यदि आपके पास वे कागजात हैं, तो आपको उन्हें दिखाना होगा। यदि आपके पास मुलाकात के समय कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो आप एजेंट को बता सकते हैं कि आप चुप रहना चाहते हैं या किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वकील से सलाह लेना चाहते हैं।
  - अपने साथ हमेशा वैध अमेरिकी सरकारी पहचान पत्र रखें।
  - यदि आपके पास आव्रजन संबंधी दस्तावेज़ हैं, तो अपने रोजगार प्राधिकरण कार्ड सहित वैध आव्रजन कागजात तथा अपने I-94 और उपस्थित होने के लिए नोटिस (Notices to Appear) की प्रतियां हमेशा अपने साथ रखें।
  - विदेशी दस्तावेज़ हर समय सुरक्षित रूप से घर पर रखने चाहिए।
  - झूठे या फर्जी दस्तावेज़ अपने साथ न रखें, तथा कभी भी किसी पुलिस अधिकारी या आव्रजन एजेंट को झूठे या फर्जी दस्तावेज़ न दें।
- यदि कोई आव्रजन एजेंट आपसे पूछे कि क्या वे आपकी तलाशी ले सकते हैं, तो आपको 'नहीं' कहने का अधिकार है। एजेंटों को आम तौर पर आपकी सहमति, वैध वारंट या संभावित कारण के बिना आपकी या आपके सामान की तलाशी लेने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई अधिकारी या एजेंट आपकी तलाशी लेता है, तो उसका विरोध न करें। आप उनसे कह सकते हैं: "मैं तलाशी के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं चुप रहना चाहता/ती हूँ। मैं जल्द से जल्द किसी वकील से बात करना चाहता/ती हूं।"
- यदि वे आपकी भाषा नहीं बोलते हैं तो आप दुभाषिये के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

यह तथ्य पत्रक केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह तथ्य पत्रक कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है और कानूनी सहायता का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। कृपया अपनी परिस्थिति के लिए कानूनी सलाह हेतु किसी वकील से परामर्श करें।

State of New Jersey
Phil Murphy, Governor
Tahesha L. Way, Lt. Governor

Department of Human Services
Office of New Americans
Sarah Adelman, Commissioner

यदि आव्रजन एजेंट आपके घर आते हैं:

- आप उनसे उनका बैज/पहचान पत्र देखने की मांग कर सकते हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि अधिकारी आव्रजन एजेंट है या नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वे किस एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और विशेष रूप से पूछ सकते हैं कि क्या वे आव्रजन एजेंट हैं।
- आप अधिकारियों या एजेंटों से पूछ सकते हैं कि वे वहां क्यों आएं हैं।
- प्रवेश करने के लिए उनके पास वैध वारंट होना चाहिए। यदि वे वारंट नहीं दिखाते हैं, तो आमतौर पर आपको अपना दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - यदि अधिकारी या एजेंट कहते हैं कि उनके पास वारंट है, तो आप उन्हें घर में प्रवेश देने से पहले उसे दिखाने के लिए कह सकते हैं (उदाहरण के लिए, खिड़की में से या दरवाजे के नीचे से खिसका कर)।
  - यदि वारंट किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित है तथा उस पर "अमेरिकी जिला न्यायालय" लिखा है या उसके शीर्ष पर किसी राज्य न्यायालय की पहचान है, तो अधिकारी या एजेंट आपके घर में प्रवेश कर सकता है। यदि दस्तावेज़ पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो आपको उन्हें अंदर आने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं: "आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है।"
  - केवल एक प्रशासनिक वारंट एजेंटों को आपकी अनुमति के बिना निजी क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति **नहीं** देता। प्रशासनिक वारंट न्यायालय से जारी नहीं होते। प्रशासनिक वारंट पर "होमलैंड सुरक्षा विभाग" लिखा होता है और यह फॉर्म I-200 या I-205 पर होते हैं।
  - आव्रजन एजेंटों को आपातकालीन स्थिति में आपकी अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति होती है, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा या किसी के जीवन के लिए खतरा। लेकिन आपको तब भी चुप रहने और बातचीत को दर्ज करने का अधिकार है, जिसमें रिकॉर्डिंग भी शामिल है (जब तक कि आप उनकी कानून प्रवर्तन गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं)।
- यदि अधिकारी या एजेंट जबरदस्ती आपके घर में घुस आएं तो प्रतिरोध न करें। आप उनसे कह सकते हैं: "आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। मैं तलाशी के लिए सहमत नहीं हूँ। मैं चुप रहना चाहता/ती हूँ। मैं जल्द से जल्द किसी वकील से बात करना चाहता/ती हूं।"
- यदि वे आपकी भाषा नहीं बोलते हैं तो आप दुभाषिये के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

यदि आपको हिरासत में लिया जाता है:

- गिरफ्तारी का प्रतिरोध करने का प्रयास न करें।
- आपको किसी वकील से बात करने का अनुरोध करने का अधिकार है। आपको एक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदाता यहाँ मिल सकता है।
- आपको अपने वकील से बात करने से पहले कुछ भी कहने, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने, कोई निर्णय लेने या किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है
- आपको दुभाषिये के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।
- यदि आप किसी दस्तावेज़ को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो कोई भी आपको अंतिम निर्णय लेने या उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- यदि आप
- इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या आपका प्रियजन हिरासत में है और कहाँ है, तो आप ICE बंदी लोकेटर का उपयोग कर सकते हैं।

NJ आप्रवासी ट्रस्ट निर्देश:

- New Jersey आप्रवासी ट्रस्ट निर्देश, स्वैच्छिक सहायता के प्रकार को सीमित करता है, जो New Jersey के कानून प्रवर्तन अधिकारी — राज्य, काउंटी और स्थानीय — संघीय आव्रजन अधिकारियों को प्रदान कर सकते हैं।
- New Jersey के कानून प्रवर्तन अधिकारी सामान्यतः केवल आव्रजन स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, उससे पूछताछ नहीं कर सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसकी तलाशी नहीं ले सकते या उसे हिरासत में नहीं ले सकते।
- वे किसी व्यक्ति की आव्रजन स्थिति के बारे में भी पूछताछ नहीं कर सकते हैं और वे आम तौर पर नागरिक आव्रजन प्रवर्तन कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं।
- आप्रवासी ट्रस्ट निर्देश में कई अपवाद और बहिष्करण हैं। उदाहरण के लिए, यह New Jersey के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को New Jersey के आपराधिक कानूनों को लागू करने या वैध न्यायिक वारंट या अन्य अदालती आदेशों का पालन करने से प्रतिबंधित करता या रोकता नहीं है।
- आप्रवासी ट्रस्ट निर्देश के बारे में जानकारी https://www.njoag.gov/trust/ पर उपलब्ध है।
- निर्देश के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए, संबंधित पुलिस विभाग या काउंटी अभियोक्ता कार्यालय से संपर्क करें।

State of New Jersey
Phil Murphy, Governor
Tahesha L. Way, Lt. Governor

Department of Human Services
Office of New Americans
Sarah Adelman, Commissioner

अतिरिक्त संसाधन:

- नए अमेरिकियों का कानूनी सेवा कार्यक्रम कार्यालय
- यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या आपका कोई परिचित व्यक्ति हिरासत में है और कहाँ है, आप **ICE** बंदी लोकेटर का उपयोग कर सकते हैं।
- निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदाता

धोखाधड़ी का शिकार होने से सावधान रहें

बेईमान व्यक्ति "आव्रजन सलाहकार", "नोटरी" या "वकील" होने का दिखावा करते हुए झूठा दावा करते हैं कि वे सीमित अंग्रेजी कौशल वाले लक्षित आप्रवासियों को आव्रजन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। केवल अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाएँ (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) द्वारा प्राधिकृत वकीलों और मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को ही आव्रजन प्रपत्र जैसे कानूनी दस्तावेज तैयार करने, कानूनी मामलों पर सलाह देने या कानूनी कार्यवाही में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है।

- कानून का व्यवसाय करने के लिए एक वकील के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। अधिकांश राज्यों में लाइसेंस प्राप्त वकीलों का सार्वजनिक खोज योग्य डेटाबेस है।
- एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के पास आव्रजन मामलों में लोगों की मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार से प्रशिक्षण और प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए। आप सरकार की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची में संगठन और व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं।

नि: संकोच होकर प्रश्न पूछिए। आप किसी भी वकील या मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि से उनके प्रशिक्षण, अनुभव और प्रमाणन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने मामले की स्थिति और समय-सीमा, किसी भी रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की पूर्ण प्रति, सेवाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने वाला लिखित समझौता, तथा अन्य कोई भी जानकारी जो आप चाहते हैं या जानना चाहते हैं, के बारे में पूछ सकते हैं।

आव्रजन घोटालों की रिपोर्ट करने के लिए, कृपया New Jersey उपभोक्ता मामला प्रभाग (Division of Consumer Affairs, DCA) से संपर्क करें: 1-800-242-5846 (New Jersey में टोल-फ्री)। NJ DCA सभी लोगों से उनकी नागरिकता या आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना रिपोर्ट लेता है, और DCA कर्मचारी नागरिकता या आव्रजन स्थिति के बारे में नहीं पूछते हैं।

अधिक जानकारी के लिए: